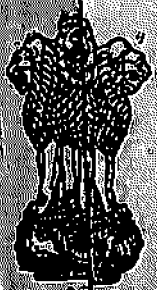

२ संख्या १

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

Vol. II. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report.

Wednesday, the 28th January, 1953.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,

मूल्य—६ आने]
Price—Annas 6.]

बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ५ फरवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

ACCUSED ACQUITTED OF DACOITY.

2. Shri SHUKHDEO NARAIN SINGH MAHTHA : Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of the Government has been drawn towards the news item under caption "Accused Acquitted of Dacoity" published in the issue of a local English newspaper, dated January 18, 1953, at page six;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, what are the names of the investigating and the supervising officers referred to in the case;

(*c*) what steps Government has taken or proposes to take against these officers?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) The names of the investigating and supervising officers are—

(1) Sub-Inspector, Shri Ram Chabila Singh of Darauli Police-station, and

(2) Shri Ram Briksh Singh, Deputy Superintendent of Police, Siwan.

(*c*) General observations by the trying court on the points about procedure as well as the comments regarding the specific case are being examined so that necessary action may be taken.

(२) श्री हृषीकेश पांडे मार्च, १९४५ में असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्युटर के पद पर बहाल हुए थे। इनकी बहाली एस० पी० पलामू और जुडिशियल कमिश्नर, रांची की राय से २२ दरखास्तों में से विचार कर हुई थी। इनका पद समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है और उसपर इन्हीं की बहाली होती जा रही है।

(३) श्री शशी भूषण प्रसाद जंगल विभाग के मुकदमों के लिये १९४९ में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्युटर बहाल किये गये थे। इस पद का ऐडभरटाइजमेंट नहीं हुआ था। डिवीजनल फोरेस्ट अफसर की राय लेकर डिप्टी कमिश्नर ने इनकी बहाली की थी।

(४) श्री लाला मदन गोपाल जून, १९५२ से सप्लाई से संबंधित मुकदमों के लिये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्युटर बहाल किये गये हैं। इस पद के लिये भी कोई एडभरटाइजमेंट नहीं हुआ था मगर डिप्टी कमिश्नर ने पेनेल आफ लौयर्स में से इनकी बहाली की थी।

श्री अम्बिका सिंह—क्या सरकार यह बतला सकती है कि गवर्नमेंट प्लीडर के पद के लिये दरखास्त देने की आखिरी तारीख क्या थी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह खबर मेरे फाईल में नहीं है।

श्री अम्बिका सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह प्रश्न सरकार के यहां कब से विचाराधीन है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—६ मार्च, १९५२ को टर्म खतम हो गया उसके बाद से से अभी वह सवाल जुडिशियल डिपार्टमेंट के पास है; दरखास्तें आई हैं मगर अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

श्री अम्बिका सिंह—क्या सरकार यह नहीं समझती है कि ६ मार्च, १९५२ को टर्म खत्म हो जाता है और एक साल के बाद भी इसका फैसला नहीं होता है और काम नहीं होता है, क्या यह उचित है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह तो ओपिनियन की बात है। फैक्ट्स आपके सामने हमने अभी रख दिया।

स्वर्गीय श्री उमाकान्त (मुंगेर) की लड़की के विवाह के लिये सरकारी सहायता।

*१६। श्री सुबोध नारायण यादव—क्या मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि श्री उमाकान्त चौधरी, ग्राम बछवारा, थाना बछवारा, जिला मुंगेर को अंग्रेज सिपाहियों ने सन् १९४२ की अगस्त क्रांति में गोली के घाट उतार दिया था;

(ख) क्या उनकी स्त्री श्रीमती वृखमणि देवी को गत मंत्रिमंडल ने केवल ३०० रु० दिये थे जिसे उन्होंने अपने पति के स्मारक के निर्माण में उक्त रुपया लगा दिया है;

(ग) क्या उक्त स्मारक का उद्घाटन मुख्य-मंत्री ने किया है;

(घ) क्या उनको अब केवल एक स्त्री तथा एक बच्ची है जो विवाह करने के योग्य हो गयी है;

(ङ) क्या उनकी स्त्री ने राजनैतिक विभाग के सचिव के पास अपनी लड़की की शादी के लिये रुपये मंजूर करने की दरखास्त दी है, यदि हां, तो उसपर क्या कार्रवाई हुई है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) उत्तर हां है।

(ख) उत्तर ना है। ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आई है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद के आफिस से इस महिला को ३०० रु० मिले थे।

(ग) उत्तर हां है।

(घ) उत्तर हां है।

(ङ) गवर्नमेंट ने आर्डर जारी किया है कि उक्त महिला को दो हजार रुपये और दिये जायें।

CANCELLATION OF THE LICENSE OF VIJAY TALKIES OF MADHIPURA AND RENEWAL OF THE SAME IN OTHER'S NAME.

*112. **Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL :** Will te Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the Additional District Magistrate, Saharsa, cancelled the license of 'Vijay Talkies' of Madhipura long ago and refused to grant the same;

(*b*) whether it is a fact that the proprietor of the same 'Vijay Talkies' has recently got license for opening a Cinema house in the same hall and with the same machine but in other's name;

(*c*) the reasons for such actions by the Additional District Magistrate?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The temporary license of 'Vijay Talkies' was not extended beyond the 15th May, 1952 because of their malpractices.

(*b*) and (*c*) In October 1952, Messrs. Satyanarain Seho Bhagwan applied for a temporary license after taking on lease the building and equipment of the former licensee. After satisfying himself that the applicant had no other concern with the former licensee, the Additional District Magistrate has allowed a temporary license to the applicant, whose concern is known as "Shanti Talkies."

Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL : Is it a fact that only the name has been changed from 'Vijay Talkies' to 'Shanti Talkies' and everything such as place, equipment, etc. remains the same?